जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेसविज्ञप्ति | दिनांक 07.12.2022

महिला थाना पुलिस द्वारा तीन तलाक के मामले मे वाछित अभियुक्त गिरफ्तारः-

आज दिनांक 07.12.2022 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाए जा रहे महिलाओं के विरूद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में महिला थाना पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर पर तीन तलाक के मामले मे 01 वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने मे सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के संबंध मे महिला थाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि दिनांक 26.09.2022 को वादिया श्रीमति महजबी पुत्री स्वः इतियाज निवासी मौहल्ला नौकुआ सरवरपीर कोतवाली शामली जनपद शामली ने उसके पति नईम अहमद पुत्र सत्तार अहमद निवासी मौ0 शाहबिलायत शनि बाजार मडावर थाना मडावर जिला बिजनौर हाल जैन प्लाट वानी विहार थाना रायपुर देहरादून उत्तराखण्ड उम्र 31 वर्ष द्वारा 3 बार तलाक शब्द बोलकर तलाक देने के सम्बन्ध में महिला थाना शामली पर लिखित तहरीर दी गयी थी। दाखिला तहरीर के आधार पर महिला थाना शामली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1. नईम अहमद पुत्र सत्तार अहमद निवासी मौ 0 शाहबिलायत शनि बाजार मडावर थाना मडावर जिला बिजनौर हाल जैन प्लाट वानी विहार थाना रायपुर देहरादून उत्तराखण्ड उम्र 31 वर्ष।

आपराधिक इतिहास गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.मु0अ0स0 40/22 धारा 498ए/323/506 भादवि 0, व 3/4 दहेज अधि 0 व 3/4 मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारो की सुरक्षा अधिनियम 2019।